परियोजना-15

अन्तर्राज्यीय कवि सम्मेलन/मुशायरा

(सरकार के पत्र संख्याः भाषा-क (3)-10/80 दिनांक 11 अक्तूबर द्वारा अनुमोदित)

1 भूमिकाः

अन्तर्राज्यीय कवि सम्मेलनों में बाहर के राज्यों के वरिष्ठतम लेखकों कवियों और शायरों को आमन्त्रित किया जाता है । इनके साथ प्रदेश के वरिष्ठतम कवि अथवा शायर अपनी रचनाएं पढ़ते हैं ।

2 उद्देश्यः

1 हिमाचल प्रदेश की बाहर के प्रदेशों में पहचान पैदा करना ।
2 अखिल भारतीय स्तर पर हो रहे कार्य से, प्रदेश के साहित्यकारों की जानपहचान ।
3 कविता का प्रचार-प्रसार तथा साहित्य की वृद्धि ।
4 विभिन्न राज्यों के कवियों को एक मंच प्रदान करना ।

3 प्रक्रिया :

1 विभाग द्वारा निश्चित तिथि तथा स्थान पर ऐसे कार्यक्रम करवाये जायेंगे ।
2 बाहर के राज्यों से प्रतिभाशाली कवियों को आमन्त्रित किया जायेगा ।
3 हिमाचल प्रदेश के सर्वोतम कवियों को ऐसे सम्मेलनों में आमन्त्रित किया जायेगा ।
4 निदेशक, भाषा एवं संस्कृति प्रदेश तथा बाहर के कवियों के चुनाव में सक्षम होंगे ।
5 कवि सम्मेलन/मुशायरे में पढ़ी गई कविताओं को उपस्थित कवि भाषा एवं संस्कृति विभाग को देंगे ।
6 भाषा एवं संस्कृति विभाग यदि उचित समझेगा, तो इन पर पुस्तक आदि प्रकाशित कर सकता है । जिसके लिए किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक नहीं दिया जायेगा ।

4 धन राशि :

1 इन सम्मेलनों में भाग लेने वाले कवियों को 150/- रुपये से लेकर 300/-रुपये तक का पारिश्रमिक दिया जायेगा ।
2 पारिश्रमिक निश्चित करने में निदेशक, भाषा एवं संस्कृति सक्षम होंगे ।
3 कवियों के ठहरने का प्रबन्ध विभाग निशुल्क करेगा ।
4 प्रत्येक कवि के लिए 30/- रुपये प्रतिदिन की दर से भोजन की व्यवस्था की जायेगी । यह धन राशि कवि के चाहने पर उन्हें नकद रुप में भी दी जा सकेगी ।
5 यह धन राशि स्थानीय कवियों को भी कवि सम्मेलन वाले दिन दी जायेगी ।
6 भाग लेने वाले प्रत्येक कवि को उसके, इस विभाग में उपलब्ध पते, से सम्मेलन के स्थान तक के प्रथम श्रेणी रेल अथवा डीलक्स बस के तीन किराये दिये जाएंगे ।
7 प्रत्येक ऐसे कवि सम्मेलन में कम से कम चार कवि हिमाचल प्रदेश के निवासी होने चाहियें ।

5 उपहार :

1 प्रत्येक ऐसे सम्मेलन में एक बार का भोजन सभी आमंत्रित कवियों तथा कुछ गिने-चुने अतिथियों को विभाग द्वारा दिया जायेगा ।
2 यह भोजन हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम द्वारा चलाए जा रहे होटलों में ही दिया जायेगा ।
3 प्रत्येक बाहर से आए कवियों/शायरों को एक हिमाचली टोपी उपहार स्वरुप दी जायेगी जिस पर 20/- रुपये से अधिक खर्च नहीं किया जायेगा ।